



HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly
August Session 2023

List Of Business

25 August 2023

11:00 AM

1. Obituary References.

(1)

A MINISTER to make reference to the deaths of the late: -

1. Chaudhary Randhir Singh, former Governor of Sikkim.
2. Sardar Parkash Singh Badal, former Chief Minister of Punjab.
3. Shri Rattan Lal Kataria, Member of Parliament.
4. Shri Jai Narain Khundia, former Deputy Minister of Haryana.
5. Mahashay Parmanand, Freedom Fighter.
6. Martyrs of Haryana.
7. Train Tragedy.
8. Terrorist Attacks in Jammu and Kashmir.
9. Others.

2. Questions.

(1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

3. First Report of the Business Advisory Committee.

(1)

(i) THE SPEAKER

to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

(ii) A MEMBER OF THE
COMMITTEE

to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

4. Zero Hour

5. CALLING ATTENTION NOTICE

(1)

**Short Duration Discussion No. 1 converted into
Calling Attention Notice No. 20**

Notice given by

(i) Shri Varun Chaudhary, MLA

(ii) Shri Bishan Lal Saini, MLA

(iii) Shri Mewa Singh, MLA

Calling Attention Notice No. 6

Notice given by Shri Jagbir Singh Malik, MLA clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20 being similar/identical subject matter.

regarding heavy loss of life and property due to water accumulation in the Districts Ambala, Panchkula, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Fatehabad, Panipat, Sonipat, Sirsa, Faridabad, Palwal etc. being heavy rainfall recently.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the calling attention notice no. 20.

Calling Attention Notice No. 12

Notice given by Shri Balraj Kundu, MLA clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20 being similar/identical subject matter.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the calling attention notice no. 20.

Calling Attention Notice No. 14

Notice given by Shri Abhay Singh Chautala; MLA clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20 being similar/identical subject matter.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the calling attention notice no. 20.

**Adjournment Motion No. 2 converted into
Calling Attention Notice No. 25**

Notice given by

(i) Shri Ishwar Singh, MLA

(ii) Shri Jagdish Nayar, MLA

(iii) Shri Laxman Napa, MLA

(iv) Shri Shish Pal Singh, MLA

(v) Shri Shamsheer Singh Gogi, MLA

regarding heavy loss of life and property due to water accumulation in the Districts Ambala, Panchkula, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Fatehabad, Panipat, Sonipat, Sirsa, Faridabad, Palwal etc. being heavy rainfall recently.

**Adjournment Motion No. 4 converted into
Calling Attention Notice No. 27**

Notice given by

(i) Shri Indu Raj, MLA

(ii) Shri Shishpal Singh, MLA

(iii) Shri Jagbir Singh Malik, MLA

(iv) Shri Jaiveer Singh, MLA

regarding heavy loss of life and property due to water accumulation in the Districts Ambala, Panchkula, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Fatehabad, Panipat, Sonipat, Sirsa, Faridabad, Palwal etc. being heavy rainfall recently.

(v) **Shri Pardeep Chaudhary, MLA**

(vi) **Smt. Renu Bala, MLA**

(vii) **Smt. Geeta Bhukkal, MLA**

clubbed with admitted Calling Attention Notice
No. 20 being similar/identical subject matter.

Calling Attention Notice No. 38

Notice given by **Smt. Kiran Choudhry, MLA** The Hon'ble Member may also ask a question at the time of
clubbed with admitted Calling Attention Notice discussion on the Calling Attention Notice No. 20.
No. 20 being similar/identical subject matter.

Calling Attention Notice No. 39

Notice given by **Shri Neeraj Sharma, MLA** The Hon'ble Member may also ask a question at the time of
clubbed with admitted Calling Attention Notice discussion on the Calling Attention Notice No. 20.
No. 20 being similar/identical subject matter.

Calling Attention Notice No. 42

Notice given by **Shri Bhavya Bishnoi, MLA** The Hon'ble Member may also ask a question at the time of
clubbed with admitted Calling Attention Notice discussion on the Calling Attention Notice No. 20.
No. 20 being similar/identical subject matter.

Calling Attention Notice No. 44 Notice given

by **Shri Harvinder Kalyan, MLA** clubbed with The Hon'ble Member may also ask a question at the time of
admitted Calling Attention Notice No. 20 being discussion on the Calling Attention Notice No. 20.
similar/identical subject matter.

6. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH NEVA PORTAL.

(1)

1. A to lay on the Table the Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2023. (Haryana Ordinance No. 1 MINISTER of 2023).

(2)

2. A to lay on the Table the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023. (Haryana MINISTER Ordinance No. 2 of 2023).

(3)

3. A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 06/GST-2, dated 01.03.2023, as MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(4)

4. A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 07/GST-2, dated 01.03.2023, as MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(5)

5. A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 08/GST-2, dated 01.03.2023, as MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(6)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 09/GST-2, dated 01.03.2023, as
6. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(7)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated 24.04.2023, as
7. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(8)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated 24.04.2023, as
8. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(9)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated 24.04.2023, as
9. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(10)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated 24.04.2023, as
10. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(11)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated 24.04.2023, as
11. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(12)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated 24.04.2023, as
12. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(13)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated 09.05.2023, as
13. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(14)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated 31.05.2023, as
14. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(15)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.33/GST-2, dated 27.07.2023, as
15. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(16)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.34/GST-2, dated 27.07.2023, as
16. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(17)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated 27.07.2023, as
17. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(18)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated 27.07.2023, as
18. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(19)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated 27.07.2023, as
19. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(20)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated 07.08.2023, as
20. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(21)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated 07.08.2023, as
21. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(22)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated 07.08.2023, as
22. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(23)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated 07.08.2023, as
23. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(24)

A to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.42/GST-2, dated 07.08.2023, as
24. MINISTER required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(25)

A to lay on the Table the Human Resources Department Notification No. 13/13/2018-4GS-II, dated 05th
25. MINISTER May, 2022, as required under section 26 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and
Conditions of Service) Act, 2018.

(26)

A
26. MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Goods and Services Tax Network for the year 2021-22, as required under section 394(b) of the Companies Act, 2013.

(27)

A
27. MINISTER to lay on the Table the 46th Annual Report and Balance Sheet of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 2020, as required under section 395(b) of the Companies Act, 2013.

(28)

A
28. MINISTER to lay on the Table the 23rd Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam for the year 2021-22, as required under section 395(b) of the Companies Act, 2013.

(29)

A
29. MINISTER to lay on the Table the 25th Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2021-22, as required under section 395(b) of the Companies Act, 2013.

(30)

A
30. MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Haryana Human Rights Commission for the year 2021-22, as required under section 28(2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.

(31)

A
31. MINISTER to lay on the Table the 55th Annual Report of Haryana Financial Corporation for the year 2021-22, as required under sections 37(7) & 38(3) of the State Financial Corporation Act, 1951.

(32)

A
32. MINISTER to lay on the Table the 53rd Annual Report of Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2019-20, as required under section 395(1)(b) of the Companies Act, 2013.

(33)

A
33. MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited for the year 2020-21, as required under section 395(1)(b) of the Companies Act, 2013.

(34)

A
34. MINISTER to lay on the Table the Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board for the year 2020-21, as required under section 19-A (1)(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

(35)

FINANCE
35. MINISTER to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India Performance Audit of Rural and Urban Water Supply Schemes (Report No. 3 of the year 2023) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

7. LEGISLATIVE BUSINESS(Bill to be introduced)

(1)

The Haryana Municipal (Amendment) Bill, A
2023

MINISTER

"
to move for leave to introduce the Haryana Municipal
(Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill.
"

(2)

The Haryana Municipal Corporation
(Amendment) Bill, 2023

A
MINISTER

"
to move for leave to introduce the Haryana Municipal
Corporation (Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill.
"

(3)

The Haryana Development and Regulation of
Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2023

A
MINISTER

"
to move for leave to introduce the Haryana Development
and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill.
"

Chandigarh-160001

Date:24/Aug/2023

Rajender Kumar Nandal

Secretary

HARYANA VIDHAN SABHA



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

अगस्त सत्र 2023

कार्य सूची

25th अगस्त, 2023

11:00:00

1. शोक प्रस्ताव

- (1) एक मंत्री स्वर्गीय:-1. चौधरी रणधीर सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल, सिक्किम;2. सरदार प्रकाश सिंह बादल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब; 3. श्री रतन लाल कटारिया, संसद सदस्य;4. श्री जय नारायण खुन्डिया; हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री; 5. महाशय परमानन्द, स्वतन्त्रता सेनानी;6. हरियाणा के शहीद;7. रेल दुर्घटना; 8. जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले;9. अन्यके देहावसान का उल्लेख करेंगे।

2. प्रश्न

- (1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

3. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

(1)

(i) अध्यक्ष

विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।

(ii) समिति के एक सदस्य

प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

4. शून्य काल

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1)

हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जिला

अल्पावधि चर्चा संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20, में परिवर्तित कर दिया है जिसकी सूचना- (i) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए., (ii) श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए. तथा (iii) श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है

अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान माल के भारी नुकसान से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-6 श्री जगवीर सिंह मलिक, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-12 श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-14 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-17 श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए. तथा श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-25, में परिवर्तित कर दिया है जिसकी सूचना- (i) श्री ईश्वर सिंह, एम.एल.ए., (ii) श्री जगदीश नायर, एम.एल.ए. (iii) श्री लक्ष्मण नापा, एम.एल.ए. (iv) श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए. तथा (v) श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है, को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-27, में परिवर्तित कर दिया है जिसकी सूचना- (i) श्री इंदु राज, एम.एल.ए., (ii) श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए. (iii) श्री जगवीर सिंह मलिक, एम.एल.ए. (iv) श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए. (v) श्री प्रदीप चौधरी, एम.एल.ए. (vi) श्रीमती रेनु बाला एम.एल.ए. तथा (vii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है, को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-38 श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-39 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-42 श्री भव्य बिश्नोई, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-44 श्री हरविंदर कल्याण, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

6. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

एक मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) मेज पर रखेंगे।

- (2) एक मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) मेज पर रखेंगे।
- (3) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 6/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (4) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 7/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (5) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 8/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (6) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 9/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (7) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज रखेंगे।
- (8) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (9) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (10) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।
- (11) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।

(21)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(22)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(23)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(24)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(25)

एक हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों (सेवा की भर्ती एवं शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव मंत्री संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या 13/13/2018- 4 जी.एस.-II, दिनांकित 5 मई, 2022 मेज पर रखेंगे।

(26)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए माल और सेवा कर मंत्री ढांचा की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(27)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मंत्री हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय स्थिति विवरण मेज पर रखेंगे।

(28)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली मंत्री वितरण निगम लिमिटेड की 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(29)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा विद्युत मंत्री प्रसारण निगम लिमिटेड की 25 वीं वार्षिक वित्त रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(30)

एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा, 28(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा मंत्री मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(31)

एक राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के मंत्री लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(32)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा राज्य मंत्री औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(33)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा मास मंत्री रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(34)

एक नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (1) (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लेखा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे मेज पर मंत्री रखेंगे।

(35)

वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजना (वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 3) की कार्य प्रणाली की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

7. विधायी कार्य (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(1)

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023. एक मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(2)

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023. एक मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(3)

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023. एक मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

